International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10(230)/सा.भ./पवि/2026/ दिनांकः ई–हस्ताक्षरानुसार

सीमित बोली सूचना :– 200

पर्यटन भवन जयपुर में लगे हुये ए.सी. की सर्विस/मरम्मत (वार्षिक रख–रखाव) कार्य किये जाने हेतु अधिकृत प्रदाता/सब डीलर/सेवा प्रदाता से संविदा/रेट कॉन्ट्रेक्ट के लिए बिड आमंत्रित की जाती है :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	बिड प्रतिभूति राशि	निविदा जारी किये जाने की तिथि	निविद जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1.	48 Split AC एवं 03 Cassette AC की सर्विस/मरम्मत कार्य	200000/–	200/–	4000/–	17/04/2026	24/04/2026 1.00 पी.एम.	24/04/2026 3.00 पी.एम.

1. बिड दस्तावेज प्रपत्र एवं शर्तें विभागीय वेबसाइट "www.tourism.rajasthan.gov.in" अथवा "www.dipr.rajasthan.gov.in" अथवा sppp portal पर भी देखी व डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट पर डाउनलोड किये गये प्रत्येक प्रपत्र की कीमत रुपये 200/– बोलीदाता द्वारा पृथक से डिमाण्ड ड्राफ्ट कराना होगा।
2. विभाग में बिड दरे बिड दाता द्वारा मुहर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व विभागीय मशीनों एवं विभाग में निविदा के अनुसार करवाये जाने वाले अन्य कार्यों का सर्वे कार्यालय समय में किया जा सकता है।
4. निविदा में अंकित कार्यों/पार्टस की सूची अनुसार एवं निविदा में पृथक से संलग्न कार्यों एवं पार्टस की सूची अनुसार अनुमोदित दरों पर ही विभाग द्वारा तिमाही आधार पर कोषालय द्वारा भुगतान किया जाएगा।
5. निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बिना बिड प्रतिभूति राशि के प्राप्त तथा सशर्त निविदाएं स्वीकार्य नही होगी।
6. प्रस्तुत बिड दरें समस्त कर सहित होगी पृथक से कोई कर देय नहीं होगी।
7. विभाग में उक्त सीमित निविदा की अवधि कार्यादेश में अंकित दिनांक से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी।

(अजीत सिंह)
कार्यालयाध्यक्ष एवं उप निदेशक (सा.भ.)

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.04.16 12:27:08 IST
Reason: Approved

Data F/VSC/Tender 2025/

RajKaj Ref No.: 21439804
eSign 1.0

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10(230)/सा.भ./पवि/2026/ दिनांकः ई–हस्ताक्षरानुसार

सीमित बोली संख्या – 300

विषयः– पर्यटन विभाग में लगे ए.सी. की सर्विस एवं मरम्मत कार्य हेतु दर संविदा/निविदा/Rate Contract.

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :–

S.N.	Particulars	Information to be filled by the bidder	Page No.
1	2	3	4
1.	Name & Postal address of the firm		
2.	Nature of Firm (Proprietor/Partnership/Company)		
3.	Address of Firm in Jaipur Enclose require documents		
4.	Name of the authorized person		
5.	Telephone Numbers (Office/Mobile/Fax)		
6.	Email Id		

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.04.16 1?:27:08 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

7.	PAN Enclose copy of PAN card		
8.	GST No. & Enclose copy of GST registration Certificate		
9.	Bid document fees Rs. 200/- in form of receipt/bankers cheque/DD payable to Commissioner Tourism Jaipur (Mention NO.,Date and Amount)		
10.	Bid Security @ 2% (4000/-) in form of receipt/bankers cheque/DD payable to to Commissioner Tourism Jaipur (Mention NO.,Date and Amount)		
11.	Certificate on the letterhead of the firm stating that it is not endorsed by any department or undertaking of the Government of India, Government of India undertakings, State Government and State Government		

2. बोलीदाता की अपनी अलग से कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शीता नियम (RTTP Rules) 2012 एवं 2013 के अनुसरण "http:/sppp.rajasthan.gov.in" एव पर्यटन विभाग की विभागीय वेबसाइट www.tourism.rajasthan.gov.in पर भी बोली संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.01.16 1?:27:08 IST
Reason: Approved

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10(230)/सा.भ./पवि/2026/ दिनांकः ई–हस्ताक्षरानुसार

सीमित बोली संख्या – 300

विभाग में ए.सी. की सर्विस एवं मरम्मत कार्य कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक की दर संविदा हेतु बोलियां के इच्छुक/अनुभवी बोलीदाताओं से मुहरबन्द लिफाफे में बोली आमंत्रित की जाती है :–

(अ) स्प्लिट ए.सी. के पार्टस एवं कार्य की सूची :–

क्र.सं.	कार्य/पार्टस का विवरण	दर मजदूरी सहित
1.	ए.सी. सर्विस चार्ज	
2.	ए.सी. गैस चार्ज	
3.	कम्प्रेसर	
4.	पी.सी.बी. (पावर सार्किट बोर्ड)	
5.	इनडोर फेन मोटर	
6.	आउट डोर मोटर	
7.	इनडोर ब्लोर	
8.	केपेसिटर	
9.	कुलींग कॉयल	
10.	कन्डेनसर कॉयल	
11.	ड्रेन ट्रे	
12.	स्टेबलाईजर	
13.	डिसप्ले	
14.	फेन ब्लेड	

(ब) केसीट ए.सी. के पार्टस एवं कार्य की सूची :–

क्र.सं.	कार्य/पार्टस का विवरण	दर मजदूरी सहित
1.	ए.सी. सर्विस चार्ज	
2.	ए.सी. गैस चार्ज	
3.	कम्प्रेसर	
4.	पी.सी.बी. (पावर सार्किट बोर्ड)	
5.	इनडोर फेन मोटर	

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.04.16 1?:27:08 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

6.	आउट डोर मोटर	
7.	इनडोर ब्लोर	
8.	केपेसिटर	
9.	कुलींग कॉयल	
10.	कन्डेनसर कॉयल	
11.	ड्रेन ट्रे	
12.	स्टेबलाईजर	
13.	डिसप्ले	
14.	फेन ब्लेड	

पार्टस की दरों की सूची पृथक से संलग्न करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.04.16 1?:27:08 IST
Reason: Approved

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10(230)/सा.भ./पवि/2026/ दिनांकः ई–हस्ताक्षरानुसार

बिड एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : बोलीदाताऐं बोली देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये।

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शीता अधिनियम व नियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे अधिनियम व नियम कहा गया है तथा सामान्य वितीय एवं लेखा नियम एवं संबंध में वित विभाग, राजस्थान द्वारा जारी गाईडलाईन प्रभारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभवी रहेंगे। बोलीदाता को अधिनियम एवं नियम की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त अधिनियम एवं नियम में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त अधिनियम एवं नियम के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. बोली दस्तावेज निदेशालय पर्यटन विभाग, पर्यटन भवन, संजय मार्ग, जयपुर में भौतिक रूप से दिनांक . .2026 को दोपहर 01:00 बजे तक जमा कराने होगें।
3. यदि अनुमोदित संवेदक अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो बोली तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
4. संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में विभाग को अन्य किसी भी संस्था/संवेदक से अनुमोदित संवेदक की जोखिम पर कार्य करवाने एवं नियमानुसार एल.डी. लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. फर्म/फर्म मालिक यदि पूर्व में केन्द्रीय सरकार/किसी भी राज्य सरकार अथवा इनके किसी विभाग/उपक्रम/संस्था द्वारा एक से अधिक बार कार्य को अधूरा छोडने अथवा संतोषजनक तरीके से पूर्ण नहीं करने पर शास्ति लगायी जा कर वसूल की गई हो अथवा ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
6. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए होगी।
7. मूल्यांकन की कसौटी बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
8. निविदा में अंकित सम्पूर्ण कार्य का कार्यादेश एक ही फर्म को जारी किया जावेगा।
9. बोलीदाता को अपना दुरभाष नं. निविदा में देने होगे ताकि आवश्यक परिस्थितियों में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
10. बोली दरों में काट छांट नहीं की जावें।
11. बोली दरें पैन से भरी होनी चाहिये, पैंसिल से भरी गयी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा। निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर किये जावें।
12. विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाये जाने पर विभाग में उपस्थित होना होगा।
13. ए.सी. की सर्विस/मरम्मत कार्यों के बिल का भुगतान तिमाही आधार पर होगा।
14. सफल बोलीदाता को नियमानुसार 05 प्रतिशत परर्फोमेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा करवानी होगी। जो कार्य पूर्ण एवं संतोषप्रद होने के पश्चात लौटा दी जावेगी।
15. सफल बोलीदाता द्वारा 500/– रू. के स्टॉम्प पर करार पत्र का निष्पादन स्वयं के खर्चे पर करना होगा।

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.04.16 1?:27:08 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

16. बोलीदाता बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से निविदा प्रपत्रों की पूर्ति कर बोली भरी जानी चाहिए। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से जिस कार्य/सामग्री के लिए निविदा भरी गई है। उसका भी उल्लेख लिफाफे पर किया जावें।
17. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें शब्दों के साथ अंकों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
18. प्रदाय किये जाने वाले सामान सम्बन्धी शर्तों, विस्तृत विवरण आदि के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो प्रभारी अधिकारी/भण्डारपाल (सामान्य भण्डार) से पूछताछ की जा सकती है।
19. बोलीदाता अपनी बोली अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे हस्तान्तरित कर सकेगा।
20. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान, उसके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण, व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत प्रमाणिक नमूनों से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिये और किसी ऐसे सामान के मामले में जिसके लिए कोई प्रमाणिक या स्वीकृत नमूने नहीं हैं, सामान का प्रदाय भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्रकार की किस्म का होना चाहिये। सामान की किस्म के सम्बन्ध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा बोलीकारों के लिए मान्य होगा। प्रदाय की गई किन्ही ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जावें तथा जिन्हे अस्वीकार कर दिया जाये या बदलवाई जाये और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों की अस्वीकृत अथवा बदले जाने के कारण प्रदायकों को कोई हानि हो तो वह पूर्ण रूप से बोलीकारों के जिम्मे होगी।
21. अस्वीकृत वस्तुओं को, अस्वीकृत की सूचना की तारीख से 7 दिवस में बोली देने वाले द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिये। सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे सामान का यथोचित ध्यान रखेंगे, लेकिन उनके भू–गृहादि में रखे सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए वे किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगें।
22. बोलीदाता, सामान की सही तरीके से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा।
23. समस्त प्रस्तावित दरें एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलें में भी दरों में समस्त कर शामिल होने चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा और सामान की सुपुर्दगी आयुक्त पर्यटन विभाग, पर्यटन भवन परिसर, एम. आई. रोड, जयपुर में देनी होगी।
24. बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई है के द्वारा संबंधित सर्विस/मरम्मत कार्य की व्यवस्था विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार करनी होगी। क्रय अधिकारी बिना कारण बताये संबंधित सर्विस/मरम्मत कार्य को घ टा/बढ़ा सकता है। संबंधित सर्विस/मरम्मत कार्य आदेश कार्यालय में आवश्यकतानुसार समय–समय पर दिये जावेगें। विशेष परिस्थितियों में विभाग को समय–समय पर आवश्यकतानुसार संबंधित सर्विस/मरम्मत कार्य की तुरन्त शीघ्र करने के लिए मांग की सूचना दूरभाष पर दी जा सकती है, जिसकी पुष्टि पत्र द्वारा भी भेजी जावेगी ऐसा संबंधित सर्विस/मरम्मत कार्य निर्धारित दिवस में करनी होगी।
25. वस्तुओं का प्रदाय विभाग के समाधानप्रद नहीं होने पर प्रदाय की संविदा किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।
26. बोली स्याही पैन या बालपैन से भरी जानी चाहिए। पैंसिल से या अन्य किसी से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। बोली में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये। कोई ऑवर राईटिंग नहीं की जानी चाहिए। शुद्धियां यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.04.16 1?:27:08 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

27. बोलीदाता को, निविदा और करार की शर्तों और प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए।
28. सफल बोलीदाताओं को निर्धारित प्रारूप में नियमों में निर्धारित राशि के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में एक करार निष्पादित करना होगा तथा अनुबन्ध राशि की **5 प्रतिशतः** राशि प्रतिभूति के रूप में बैंकर चैक/डी.डी द्वारा जमा करवानी होगी निविदा अवधि के समाप्ति के पश्चात लौटा दी जाएगी। ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय प्रदायक करेगा। प्रदायक को स्टाम्प लगे हुये निष्पादित करार की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायेगी। यदि बोलीकारों को प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या विहित कालावधि के करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तों का भंग माना जायेगा तथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या अनुबन्ध को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर प्रतिभूति राशि क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
29. संदाय पर विप्रेक्षण व्यय (रेमिटेंस चार्जेज) संविदाकारों द्वारा वहन किये जायेगें ।
30. यदि बोली कार्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी नहीं की गई तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह बोलीकार को सूचना दिये बिना बोलीकार के हिसाब में और उसकी जोखिम (रिस्क एण्ड कोस्ट) पर यह कार्य या उसका कोई भाग जो बोलीकार सप्लाई न कर पाया हो, और कहीं से भी कार्य करवाया जावेगा। बोलीकार की सेवाएं असंतोषप्रद होने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को रदद् कर दे तथा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर ले। इस सम्बन्ध में आयुक्त एवं शासन सचिव, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अतिंम एवं मान्य होगा।
31. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जायेगा एवं विधि मान्यता की अवधि तथा सुपुर्दगी की अवधि परस्पर सहमति होने पर नियमानुसार बढाई जा सकेगी।
32. RTTP एक्ट 2012 धारा 46 (4) के अनुसार जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्यसंपादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्थान द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से 3 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
33. RTTP एक्ट 2012 धारा 42 (घ) के अनुसार सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबंधनों में अपेक्षित, कार्यसंपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है, वह, बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में उपलब्ध अवलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास लाख रूपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का सकेगा।
34. विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी भी बोली या उसके किसी भाग को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
35. बोलीदाता, बोली के साथ अनिवार्य रूप से फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न करेगा। जिनके बिना बोली पर विचार नहीं किया जा सकेगा। ऐसी फर्म जिनका फर्म का से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसी फर्में निविदा में भाग नहीं ले सकती है।
36. वैधानिक क्षेत्राधिकार जयपुर में स्थित न्यायालय ही होगें।
37. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जावेगा तथा सफल

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.0[illegible] 27:08 IST
Reason: Approved

बोलीदाता क्रेता अधिकारी से आर्डर के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर कार्य करेगा।

38. परिनिर्धारित क्षति : विलम्बित सुपुर्दगी के मामलों में सुपुर्दगी अवधि में सक्षम स्वीकृति के बिना विलम्ब हेतु निम्नांकित विवरणानुसार परिनिर्धारित क्षति वसूल की जावेगी :–
   (क) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए क्रय आदेश का 2.5 प्रतिशत
   (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक विलम्ब के लिए क्रय आदेश का 5 प्रतिशत
   (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहीत अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि विलम्ब के लिए क्रय आदेश का 7.5 प्रतिशत
   (घ) विहीत अवधि के तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
39. बोली प्रपत्र के साथ कार्य किये जाने वाली सामग्री की सूची संलग्न है, जिसमें वर्णित स्पेशिफिकेशन/मार्का के अनुसार ही दरें प्रस्तुत की जावे । एक वस्तु की एक ही दर बोली प्रपत्र में दी जावे। एक से अधिक दरें होने पर न्यूनतम वाली दर को ही माना जावेगा। निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मार्क से भिन्न अन्य स्पेसिफिकेशन/मार्क की दरें नहीं दी जावे ।
40. निविदा में वर्णित कार्यों को किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में आकर देखे जा सकते है।
41. सेवा प्रदाता निर्धारित समय पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। यदि किसी कारण वश समय पर सेवा संभव न हो, तो केयर टेकर मुख्यालय को अग्रिम सूचना दी जानी सुनिश्चित करें।
42. फर्म द्वारा मरम्मत ब्राण्ड द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार करना होगा ।
43. फर्म द्वारा पार्ट्स बदलने की स्थिति में केवल अनुमोदित दरों अनुसार ही विभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा। यदि पार्ट्स की लागत अनुबंध में शामिल नहीं है, अलग से सक्षम स्वीकृती पश्चात ही स्वीकृत किया जायेगा ।
44. फर्म द्वारा लगाये जाने वाले पार्टस संबंधित ए.सी. मशीन के ब्रांडेड व वारंटी सहित होने चाहिए एवं पार्टस की स्थापना से पूर्व विभाग से सहमति लिया जाना आवश्यक होगा।
45. फर्म द्वारा निर्धारित समय पर कार्य नहीं किये जाने पर राशि रूपये 200/– की कटौती बिल से की जावेगी।
46. फर्म द्वारा 24 घंटे के भीतर मरम्मत किया जाना होगा। इसके पश्चात मरम्मत कार्य खुले बाजार से करवाया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी फर्म की होगी।
47. सर्विस/मरम्मत कार्य का भुगतान बोलीदाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा। बिल का भुगतान कोषालय से बिल पारित होने के पश्चात ही किया जावेगा।
48. उपरोक्त शर्तों के अलावा RTPP Rule 2012, एवं RTPP नियम 2013 एवं GF&AR के नियम की शर्ते एवं प्रावधान लागू रहेगें।
30. दरों की तुलना :– राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो जा नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नही है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में फर्मों का रजिस्ट्रेशन को शामिल किया जायेगा।
32. **मूल्य अधिमान :– मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उधोगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उधोगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित कार्यों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के**

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.0[illegible] [illegible]:27:08 IST
Reason: Approved

उधोगों को अधिमान)नियम, 1995 के अनुसार दिया जायेगा।

33. निविदा प्रपत्रों के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/केश रिसिप्ट संलग्न की जावें।

34. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की जब्तीः –

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की निम्नलिखित मामलों में जब्त की जा सकती हैः –

1. बोलीदाता द्वारा चूक होने पर या निर्दिष्ट समय के भीतर संतोषजनक ढंग से पूर्ण कार्य करने में विफल रहने पर, कार्य करने वाली संस्था, इसके अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके तहत या कानून के तहत, बोलीदाता की ऐसी चूक के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से नकदीकरण करने की हकदार होगी; या
2. यदि बोलीदाता आरटीपीपी अधिनियम की धारा 11 और आरटीपीपी नियमों के अध्याय VI और इस बोली दस्तावेज के तहत बोलीदाताओं के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो बोलीदाता कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. यदि कार्य करने वाली संस्था के निर्णय में आरटीपीपी नियमों के नियम 13 और राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/जीएंडटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 01.01.2021, 15.01.2021 और 30.03.2021 के अनुसार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से लाभकारी स्वामित्व वाले बोलीदाता को राज्य में किसी भी सार्वजनिक खरीद में भाग लेने के लिए, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी के साथ पूर्व पंजीकरण के बाद ही अनुमति दी जा सकती है, ने आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

कार्य निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती के मामले में क्रयकर्ता इकाई को उचित समय से पहले सूचना देनी होगी तथा क्रयकर्ता इकाई का निर्णय अंतिम होगा।

यदि बोलीदाता कार्यों की आपूर्ति के दौरान, आरटीपीपी अधिनियम की धारा 42 में उल्लिखित खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, तो निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती हैः –

आरटीपीपी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, बोलीदाता को पचास (50) लाख रुपये तक का जुर्माना या खरीद के मूल्यांकन मूल्य का दस प्रतिशत जो भी कम हो, के अलावा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ दंडित किया जा सकता है; और/या आरटीपीपी अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, बोलीदाता को तीन (03) वर्षों से अधिक की अवधि के लिए खरीद इकाई द्वारा की जाने वाली किसी भी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सकता है।

(अजीत सिंह)
कार्यालयाध्यक्ष एंव उप निदेशक (सा.भ.)

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.0[illegible] [illegible]:27:08 IST
Reason: Approved

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

<u>निविदादाताओं द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैनें/हमने जिन मालो/ कार्यों/सामानों/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, मेरी/हमारी प्रतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समपह्रत कर दिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Signature valid
Digitally signed by Ajit Singh
Designation: Deputy Director
Date: 2026.0[illegible]6 1[illegible]:27:08 IST
Reason: Approved